मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल 06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 652] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2008—आश्विन 15, शक 1930

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्र. (76) बी-5-10-2007-2-पांच.—मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30, सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, एकीकृत पारिवारिक आमोद-प्रमोद के बहुआयामी मनोरंजन केन्द्रों (मल्टीप्लेक्स) को उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रवर्तन से, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में यथादर्शित सीमा तक, सारणी के कॉलम (2) में वर्णित कालावधि के लिये छूट देती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	छूट की कालावधि (2)	छूट की सीमा (3)
1	मल्टीप्लेक्स के पूर्ण होने के पश्चात् ऐसे केन्द्र के सिनेमा हाल में से किसी सिनेमा हाल में किसी चलचित्र (मूवी) के प्रथम व्यावसायिक प्रदर्शन की तारीख से प्रथम तीन वर्ष	100 प्रतिशत
2	चतुर्थ वर्ष	75 प्रतिशत
3	पंचम् वर्ष	50 प्रतिशत

पांच वर्ष की कालावधि के दौरान मनोरंजन शुल्क छूट की राशि, एकीकृत पारिवारिक आमोद-प्रमोद के बहुआयामी मनोरंजन केन्द्रों (मल्टीप्लेक्स) के संनिर्माण में किये गये पूंजीगत व्यय की राशि से अधिक नहीं होगी. यदि इस अधिकतम सीमा का पांच वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व उपयोग किया जाता है तो मनोरंजन शुल्क उस तारीख से देय हो जायेगा. इसके अलावा कर की छूट की कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात् एकीकृत पारिवारिक आमोद-प्रमोद के बहुआयामी मनोरंजन केन्द्रों (मल्टीप्लेक्स) को उपरोक्त समस्त सुविधाओं के साथ और पांच वर्ष के लिये चलाना अनिवार्य होगा. उस दशा में जब इसका अनुपालन नहीं किया जाता, मनोरंजन शुल्क की छूट की सम्पूर्ण राशि 12 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वसूल की जाएगी.

स्पष्टीकरण.—(1) "एकीकृत पारिवारिक आमोद-प्रमोद के बहुआयामी मनोरंजन केन्द्र (मल्टीप्लेक्स)" से अभिप्रेत है, ऐसे केन्द्र, जिनके संनिर्माण में न्यूनतम 2 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत व्यय के रूप में व्यय की गई है तथा जिनमें निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं हैं, अर्थात्:—

1. पांच सौ दर्शकों की न्यूनतम संयुक्त क्षमता के रूप में कम से कम दो सिनेमा हाल, जिनमें एक ही समय में दो चलचित्र (मूवी) दिखाये जा सके.
2. वीडियो गेम आर्केड
3. फास्ट फूड केन्द्र
4. बच्चों के लिये खेलने तथा मनोरंजन हेतु स्थान और प्रसुविधाएं
5. यान रखने (पार्किंग) के लिए स्थान.

(2) "एकीकृत पारिवारिक आमोद-प्रमोद के बहुआयामी मनोरंजन केन्द्र (मल्टीप्लेक्स)" के निर्माण में किये गये व्यय का आंकलन, उपरोक्त क्रमांक 1 में वर्णित 5 सुविधाओं के निर्माण एवं आवश्यक उपकरणों/साधित्रों व दर्शकों को वांछित सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु किये गये व्यय तक ही सीमित रहेगा. अन्य किसी भी प्रकार के निर्माण पर किये गये व्यय को निवेश संबंधी प्रयोजन के लिये मान्य नहीं किया जायेगा.

(3) मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत निर्मित सभी सिनेमा हाल का निर्माण मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) नियम, 1972, IS-456, IS-1641, IS-1642 तथा उन विषयों में जहां मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 तथा मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) नियम 1972 अन्तर्गत विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए किया जाना होगा. भवन का ढांचा, 500 से कम सीट होने पर 1 घन्टे एवं 500 से अधिक सीट होने पर 2 घन्टे के लिए अग्निरोधक क्षमता का निर्मित होना चाहिए.

2. यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्र. (75) बी-5-10-2007-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (75) बी-5-10-2007-2-पांच, दिनांक 7 अक्टूबर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th October 2008

No. (76) B-5-10-2007-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), the State Government hereby exempts Integrated Family Entertainment Centres (Multiplex) from operation of Section 3 of the said Act, to the extent as shown in column (3) of the Table given below for a period mentioned in column (2) of the Table:—

TABLE

S. No. (1)	Period of exemption (2)	Extent of exemption (3)
1	After completion of Multiplex, first three years from the date of first commercial exhibition of a movie in any of the Cinemahalls of such center.	100%
2	Fourth year	75%
3	Fifth year	50%

The amount of aforesaid exemption from the entertainment duty during the period of five years shall not exceed the amount of capital investment made in the construction of the multiplex. If this ceiling is used up before the expiry of the said period of five years, the Tax shall become payable from that date. Besides, it shall be compulsory to run the multiplex with all the aforesaid facilities for another five years, after the completion of period of tax-exemption. In case this is not complied with, the entire amount of tax exemption along with the simple interest, at a rate of 12 percent shall be recovered.

Explantion.—(1) "Integrated Family Entertainment Centres (Multiplex)" means such enteres, in construction of which a minimum amount of rupees 2 crores has been spent as capital investment and which has minimum following facilities, namely:—

1. Minimun two Cinema-Halls with a munimum combined capacity of five hundred spectators, wherein two movies can ve shown at a time.
2. Video Game Arcade
3. Fast Food Centre
4. Place and facility for Children for play and entertainment.
5. Place of Vehicle parking.

(2) Calculation of Capital investment in the Construction of the Intergrated Entertainment Centres (Multiplex) shall be limited to Construction for and providing necessary required apparatus/machinary for the facilities described as above at Serial No. 1 to 5 only. Investment on any other Construction shall not be taken in eonsidaration for the purpose of Capital investment.

(3) Cinema Halls to be constructed under multiplexes shall be in Compliance of the provisions of Madhya Pradesh Cinema (Regulation) Rules, 1972, IS-456, IS-1641, IS-1642 and for the matters on which specific provisions under Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984 and Madhya Pradesh Cinema (Regulation) Rules, 1972 are not available, the provisions of National Building Code 2005. The structure of premises accommodating less than 500 seats is to be one hour fire resistant and 2 hours for premises accommodating more than 500 seats.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAKESH YADAV, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्र. (77) बी-5-10-07-2-पांच.—मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30, सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नवनिर्मित सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर को उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रवर्तन से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथादर्शित सीमा तक, सारणी के कॉलम (2) में वर्णित कालावधि के लिये छूट देती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	छूट की कालावधि (2)	छूट की सीमा (3)
1	सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर के पूर्ण होने के पश्चात् चलचित्र (मूवी) के प्रथम व्यावसायिक प्रदर्शन की तारीख से प्रथम वर्ष.	100 प्रतिशत
2	द्वितीय वर्ष	75 प्रतिशत
3	तृतीय वर्ष	50 प्रतिशत

तीन वर्ष की कालावधि के दौरान मनोरंजन शुल्क छूट की राशि, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर के संनिर्माण में किये गये पूंजीगत व्यय की राशि से अधिक नहीं होगी. यदि इस अधिकतम सीमा का तीन वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व उपयोग किया जाता है तो मनोरंजन शुल्क उस तारीख से देय हो जायेगा. इसके अलावा कर की छूट की कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात् सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर को उपरोक्त समस्त सुविधाओं के साथ और तीन वर्ष के लिये चलाना अनिवार्य होगा. उस दशा में जब इसका अनुपालन नहीं किया जाता, मनोरंजन शुल्क की छूट की सम्पूर्ण राशि 12 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वसूल की जाएगी.

स्पष्टीकरण.—(1) सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर से अभिप्रेत है, चार सौ दर्शकों की न्यूनतम क्षमता के ऐसे सिनेमाघर, जिनके संनिर्माण में पूंजीगत व्यय के रूप में व्यय की गयी न्यूनतम राशि निम्नानुसार हो, अर्थात्:--

अनु. (1)	नवनिर्मित सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर के स्थान का विवरण (2)	निर्माण कार्य पर निवेश की न्यूनतम राशि (3)
1	भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र	रुपये 1.00 करोड़
2	अन्य नगर निगम क्षेत्र	रुपये 0.75 करोड़
3	अन्य स्थान (नगर एवं ग्राम)	रुपये 0.50 करोड़

(2) सिनेमाहाल का निर्माण, मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) नियम, 1972, IS-456, IS-1641, IS-1642 तथा उन विषयों में जहां मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 तथा मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) नियम 1972 अन्तर्गत विशिष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए किया जाना होगा. भवन का ढांचा, 500 से कम सीट होने पर 1 घन्टे तथा 500 से अधिक सीट होने पर 2 घन्टे के लिए अग्निरोधक क्षमता का निर्मित होना चाहिए.

2. यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्र. (77) बी-5-10-2007-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्रमांक (77) बी-5-10-2007-2-पांच, दिनांक 7 अक्टूबर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th October 2008

No. (77) B-5-10-07-2-V.—In exercise of the power conferred by Section 7 of the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) the State Government hereby exempts New Single Screen Cinema-House from operation of Section 3 of the said Act, to the extent as shown in column (3) of the Table given below for a period mentioned in column (2) of the table:—

S. No. (1)	Period of exmption (2)	Extent of exemption (3)
1	After completion of New Single Screen Cinema-House from the date of first commercial exhibition of a movie in Cinema-House for First year.	100%
2	Second year	75%
3	Third yeai	50%

The amount of aforesaid exemption from the entertainment duty during the period of three years shall not exceed the amount of capital investment made in the construction of the New Single Screen Cinema-House. If this ceiling is used up before the expiry of the said period of three years, the tax shall become payable from that date Besides, it shall be compulsory to run the Single Screen Cinema-House with all the aforesaid facilities for another three years, after the completion of period of tax-exemption. In case this is not complied with, the entire amount of tax exemption along with the simple interest, at a rate of 12 percent shall be recovered.

Explanation.—(1) "Single Screen Cinema-House" means such Cinema-House, with a minimum capacity of four hundred spectators and in construction of which an amount has been spent as capital investment as shown in column (3) of the Table given below for a place mentioned in column (2) of the table:—

S. No. (1)	Place of New Single Screen Cinema-House (2)	Amount of capital investment (3)
1	Municipal Corporation Area of Bhopal, Indore, Jabalpur and Gwalior	Rupees 1.00 Crore
2	Other Municipal Corporation Areas	Rupees 0.75 Crore
3	Other Places (Towns and Villages)	Rupees 0.50 Crore

(2) Cinema hall shall be constructed in Compliance of the provisions of Madhya Pradesh Cinema (Regulation) Rules, 1972, IS-456, IS-1641, IS-1642 and for the matters on which specific provisions under Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 1984 and Madhya Pradesh Cinema (Regulation) Rules 1972 are not available, the provisions of National Building code 2005. The structure of premises accommodating less than 500 seats is to be one hour fire resistant and 2 hours for premises accommodating more than 500 seats.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAKESH YADAV, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्र. (78) बी-5-10-07-2-पांच.—मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30, सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विद्यमान सिनेमाघर में गुणात्मक सुधार एवं आधुनिकीकरण के फॅलस्वरूप उन्नयित सिनेमाघर को उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रवर्तन से, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में यथादर्शित सीमा तक, सारणी के कॉलम (2) में वर्णित कालावधि के लिये छूट देती है:—

अनुक्रमांक (1)	छूट की कालावधि (2)	छूट की सीमा (3)
1	विद्यमान सिनेमाघर में गुणात्मक सुधार एवं आधुनिकीकरण के फलस्वरूप उन्नयित होने के पश्चात् प्रथम व्यावसायिक प्रदर्शन की तारीख से प्रथम वर्ष.	100 प्रतिशत
2	द्वितीय वर्ष	75 प्रतिशत
3	तृतीय वर्ष	50 प्रतिशत

तीन वर्ष की कालावधि के दौरान मनोरंजन शुल्क छूट की राशि, विद्यमान सिनेमाघर में गुणात्मक एवं आधुनिकीकरण कार्य में किये गये पूंजीगत व्यय की राशि से अधिक नहीं होगी. यदि इस अधिकतम सीमा का तीन वर्ष की उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व उपयोग किया जाता है तो मनोरंजन शुल्क उस तारीख से देय हो जायेगा इसके अलावा कर की छूट की कालावधि के पूर्ण होने के पश्चात् गुणात्मक

सुधार एवं आधुनिकीकरण के उसी स्तर एवं समस्त सुविधाओं के साथ विद्यमान सिनेमाघर को और तीन वर्ष के लिये चलाना अनिवार्य होगा. उस दशा में जब इसका अनुपालन नहीं किया जाता, मनोरंजन शुल्क की छूट की सम्पूर्ण राशि 12 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वसूल की जाएगी.

स्पष्टीकरण.—(1) सिनेमाघर में गुणात्मक सुधार एवं आधुनिकीकरण से अभिप्रेत है, विद्यमान सिनेमाघर में प्रोजेक्टर, स्क्रीन, एम्पलीफायर, ध्वनि तथा प्रतिच्छाया (प्रोजेक्शन) से संबंधित आधुनिक प्रौद्योगिक उपकरणों के संस्थापन, सिनेमागृह के वातानुकूलन, एयरकंडीशनिंग आदि की व्यवस्था में परिवर्तन तथा भवन की मरम्मत, नवीनीकरण, परिवर्धन तथा अन्य ऐसे निर्माण कार्य, जिसमें सिनेमा प्रदर्शन की गुणवत्ता में सुधार हो. उपरोक्त पर पूंजीगत व्यय के रूप में व्यय की गई न्यूनतम राशि निम्नानुसार हो, अर्थात्:—

अनु. (1)	सिनेमाघर के स्थान का विवरण जिसमें गुणात्मक सुधार एवं आधुनिकीकरण कार्य किया गया हो (2)	निवेश की न्यूनतम राशि (3)
1	भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र	रुपये 0.75 करोड़
2	अन्य नगर निगम क्षेत्र	रुपये 0.50 करोड़
3	अन्य स्थान (नगर एवं ग्राम)	रुपये 0.20 करोड़

2. यह अधिसूचना "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्र. (78) बी-5-10-2007-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (78) बी-5-10-2007-2-पांच, दिनांक 7 अक्टूबर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th October 2008

No. (78) B-5-10-2007-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), the State Government hereby exempts a Cinema-House from operation of Section 3 of the said Act, to the extent as shown in column (3) of the Table given below for a period mentioned in column (2) of the Table:—

TABLE

S. No. (1)	Period of exmption (2)	Extent of exemption (3)
1	After completion of Modernization and Qualitative improvement in Cinema-House for First year.	100%
2	Second year	75%
3	Third year	50%

The amount of aforesaid exemption from the entertainment duty during the period of three years shall not exceed the amount of investment made for the Modernization and qualitative improvement in Cinema-House. If this ceiling

is used up before the expiry of the said period of three years, the Tax shall become payable from that date. Besides, it shall be compulsory to run the Cinema-House with all the aforesaid Modernization and Qualitative improvement for another three years, after the completion of period of tax-exemption. In case this is not complied with, the entire amount of tax exemption along with the simple interest, at a rate of 12 percent shall be recovered.

Explantion.—"Modernization and Qualitative improvement in Cinema-House" means installation of projectors, speakers, amplifiers, sound and projection systems of latest technology in existing Cinema-Houses. Qualitative improvement in Air Conditioning, Air Cooling System, Repairing or renewal of building and any such Construction which improves qualitatively of Cinema. For which an amount has been spent as capital investment as shown in column (3) of the Table given below for a place mentioned in column (2) of the Table:—

TABLE

S. No. (1)	Place of Cinema-House in which Modernization and Qualitative improvement was made (2)	Amount of capital investment (3)
1	Municipal Corporation Area of Bhopal, Indore, Jabalpur and Gvalior	Rupees 0.75 Crore
2	Other Municipal Corporation Areas	Rupees 0.50 Crore
3	Other Places (Towns and Villages)	Rupees 0.20 Crore

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAKESH YADAV, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्र. (79) बी-5-10-2007-2-पांच.—मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30, सन् 1936) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के सिनेमाघरों के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन योजना नियम, 2006 को निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2008

क्र. (79) बी-5-10-2007-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्रमांक (79) बी-5-10-2007-2-पांच, दिनांक 7 अक्टूबर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 7th October 2008

No. (79) B-5-10-2007-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936), the State Government hereby repeals "The Madhya Pradesh Ke Cinemagharon ke Sudhar Evem Adhunikikaran ke Liye Protsahan Yojna" Rules, 2006.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAKESH YADAV, Addl.Secy.

नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.